राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–143/2024

सुरेन्द्र कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के पी एस भाटी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल बोझला तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–8) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से देईदास/नोहर में किया गया है। उनका मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 16.08.2021 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को उचित अवधि तक वर्तमान पद पर पदस्थापित रखने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्पावधि में किया गया है। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना रही हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है।
5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)